न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2019
प्रविष्टि दिनांक 30–01–2019

बीरबल पुत्र लोडक्या मीणा निवासी सईदाबाद तह0 उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा मु0 अलीगढ़ जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उनियारा दिनांक 19–12–2018

उपस्थिति : (1) श्री जुबेद अहमद बसरी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 6–3–2019**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 19–12–2018 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 385 रकबा 0.28 एयर किस्म चरागाह वाके ग्राम सईदाबाद पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 0.94 एयर वाके सईदाबाद तह0 उनियारा जिला– टोंक राज0 में स्थित है, जिसका अपीलान्ट खातेदार काबिज है। उक्त आराजी के पश्चिम में खसरा नम्बर 385 है, जो चरागाह भूमि है, जिसका रकबा 0.28 एयर है। उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई रास्ता अन्य खेतों या अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि की ओर नहीं जाता है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर रास्ता बताते हुए अपीलान्ट को उक्त आराजी का अतिक्रमी बातया है। जबकि प्रार्थी अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है। यदि मेर मिलने से फुट दो फुट को कोई अतिक्रमण हो तो प्रार्थी अपीलान्ट उसे छोड़ने को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया, उसकी

जिला कलेक्टर
टोंक

अनुपस्थिति दर्ज कर उसके विरूद्ध निर्णय दिया है जो विधि विधान के प्रतिकूल व निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है ओर न ही अपीलान्ट का किसी चरागाह भूमि से कोई सम्बन्ध है। अतः: अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–8–2018 को उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा है। अपीलान्ट न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें अकिंत किया है कि उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 636 निर्णय दिनांक 14–2–2018 से बेदखल किया गया था। अतिक्रमी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है,उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष मे साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था किन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 384 रकबा 0.28 एयर किस्म चरागाह वाके ग्राम सईदाबाद पर कब्जा कर मक्का व उडद की फसल काश्त कर व खाई खोदकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 636 निर्णय दिनांक 14–2–2018 से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। विवादित भूमि चरागाह भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग एवं हित की भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19–12–2018 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06–3–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक